व्यापार में दी गयी या किराए के लिए जमा की गयी पेशगी रक़म पर ज़कात

(क) व्यापार का माल जिसकी क़ीमत ख़रीदार ने पेशगी अदा कर दी हो, लेकिन ख़रीदा गया सामान अभी उसके क़ब्ज़े में न आया हो तो उस अदा की गयी रक़म की ज़कात ख़रीदार पर वाजिब न होगी, बल्कि बेचने वाले पर वाजिब होगी।

(ब) ऐसी ख़रीदारी, जिसमें पहले क़ीमत दे दी जाती है और ख़रीदार को माल एक निश्चित अवधि के बाद वसूल होता है जैसे किसान फ़सल लगाते वक़्त नक़द रक़म लेकर अनाज इस शर्त पर बेच देते हैं कि वह किसी निश्चित तारीख़ पर अनाज उसे दे देगा, उसे ''बैअ-सलम'' कहते हैं। और ऐसी ख़रीदारी जिसमें आर्डर देकर माल बनवाया जाता है और उसकी क़ीमत कुल या अधिकांश पेशगी दे दी जाती है और उसे ''बैअ-इस्तसनाअ'' कहते हैं। इन दोनों तरह की ख़रीद व फ़रोख़्त में बेचे गए माल की ज़कात, ख़रीदार को माल हवाले करने से पहले बेचने वाले पर लागू होगी। इसी तरह जिस सौदे में माल का क़ब्ज़ा ख़रीदार के पास नहीं हुआ है उसमें भी ख़रीदे गए माल की ज़कात ख़रीदार पर लागू नहीं होगी।

2-किराए दार की तरफ़ से मालिक मकान या दुकान को एडवांस दी गयी रक़म पर ज़कात किराए दार पर लागू न होगी। इस सिलसिले में सम्मेलन में शरीक कुछ लोगों की राय यह है कि इस माल की ज़कात मालिक मकान पर वाजिब होगी, और दूसरी राय यह है कि किसी पर भी ज़कात वाजिब न होगी।

☆☆☆